राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 14546/2020

आबिद पुत्र मुस्ताक, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी रूण, थाना कुचेरा, जिला नागौर। (वर्तमान में उप जेल, मेड़ता में बंद है) - याचिकाकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य, पीपी के माध्यम से - प्रतिवादी

याचिकाकर्ताओं के लिए: श्री केसी पंचारिया (जरीये वीसी)

प्रतिवादी के लिए: श्री गौरव सिंह, पीपी

याचिकाकर्ता को आईपीसी, POCSO अधिनियम और SC/ST अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों के संबंध में गिरफ्तार किया गया। पीड़ित/शिकायतकर्ता को नोटिस नहीं दिया गया-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 15-ए(3) कानून का एक अनिवार्य प्रावधान है जिसके तहत पीड़ित या उसके प्रतिनिधि को

जमानत कार्यवाही सहित सभी अदालती कार्यवाही में समय पर नोटिस दिया जाना आवश्यक है। प्रतिवादी को शामिल न करना आवश्यक पक्ष के गैर-जुड़ने के कारण जमानत आवेदन को खारिज करने के समान होगा-पीड़ित को पक्षकार बनाने के लिए समय दिया गया।

माननीय डॉ. न्यायमूर्ति पुष्पेंद्र सिंह भाटी

आदेश

रिपोर्टेबल

14/12/2020

कोविड-19 आपदा के मद्देनजर, वकीलों को अदालतों में आने से परहेज करने की सलाह दी गई है।

उभयपक्षों के विद्वान वकील को सुना और रिकार्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

याचिकाकर्ता को आईपीसी की धारा 450, 376(2)(एन), पोक्सो अधिनियम की धारा 5(एल)/6 और एससीटी/एसटी अधिनियम की धारा 3(1)(w)(ii)(v)(va) के तहत दंडनीय अपराध के लिए पुलिस स्टेशन कुचेरा, जिला नागौर की एफआईआर संख्या 188/2020 के

संबंध में गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने सीआरपीसी की धारा 439 के तहत यह जमानत अर्जी दायर की है।

इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील से एक विशेष प्रश्न पूछा कि पीड़ित को प्रतिवादी पक्ष क्यों नहीं बनाया गया है।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने कहा कि निजी-प्रतिवादी/शिकायतकर्ता को किसी भी नोटिस की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह सीआरपीसी की धारा 439 के तहत जमानत अर्जी है। और चूंकि आरोप में POCSO अधिनियम के तहत अपराध शामिल है, इसलिए, SC/ST अधिनियम की धारा 15-ए(3) के तहत पीड़ित/शिकायतकर्ता को अनिवार्य नोटिस की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि भले ही वर्तमान मामले में एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(1)(w)(ii)(v)(va) के तहत अपराध का भी आरोप लगाया गया है, तब भी एससी/एसटी अधिनियम की धारा 15-ए(3) भी लागू नहीं होगी क्योंकि पॉक्सो अपराध पहले से ही है और धारा 439 सीआरपीसी के तहत जमानत याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आगे कहा कि नोटिस की आवश्यकता केवल तभी होती है जब अपील एससी/एसटी अधिनियम की धारा 14-ए के तहत की जाती है।

विद्वान लोक अभियोजक का कहना है कि एससी/एसटी अधिनियम की धारा 15-ए (3) के तहत जमानत कार्यवाही में भी नोटिस अनिवार्य है।

एससी/एसटी अधिनियम की धारा 15-ए (3) इस प्रकार है:-

"15-ए.पीड़ितों और गवाहों के अधिकार.-

(3) पीड़ित या उसके आश्रित को किसी भी जमानत कार्यवाही सहित किसी भी अदालती कार्यवाही की उचित, सटीक और समय पर सूचना का अधिकार होगा और विशेष लोक अभियोजक या राज्य सरकार पीड़ित को इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही के बारे में सूचित करेगी।"

पक्षों के विद्वान वकीलों को सुनने के बाद, यह न्यायालय एक सुविचारित निष्कर्ष पर पहुँचता है कि एससी/एसटी अधिनियम की धारा 15-ए(3) कानून का एक अनिवार्य प्रावधान है, जिसमें पीड़ित या उसके प्रतिनिधि या शिकायतकर्ता को प्रतिवादी के रूप में शामिल करने और जमानत कार्यवाही सहित सभी अदालती कार्यवाही में समय पर नोटिस देने की आवश्यकता होती है और निजी प्रतिवादी को शामिल न करना आवश्यक पक्ष के शामिल न होने के कारण जमानत आवेदन को खारिज करने के समान होगा।

इसके बाद न्यायालय एससी/एसटी अधिनियम की धारा 15-ए(3) के आवश्यक अनुपालन के संबंध में उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुंचा और जमानत याचिका खारिज करने जा रहा था, याचिकाकर्ता के वकील ने पीड़िता को पक्षकार बनाने के लिए दो सप्ताह का समय देने की प्रार्थना की।

इस न्यायालय की राय है कि याचिकाकर्ता, वह भी जो हिरासत में है, को अपने वकील की गलती के लिए पीड़ित नहीं होना चाहिए। इस प्रकार, यह न्यायालय याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को पीड़ित को प्रतिवादी पक्ष के रूप में पेश करने के लिए समय देता है।

प्रार्थना के अनुसार दो सप्ताह बाद सूची बनाएं।

न्यायाधीश, (डॉ.पुष्पेन्द्र सिंह भाटी)

(अनुवाद एआई टूल: SUVAS के माध्यम से अनुवादक की मदद से किया गया है)

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय का उपयोग वादी को अपनी भाषा में समझने के लिए सीमित उपयोग के लिए किया जाता है और इसका उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त होगा।